संचिका संख्या.–12/प0–01–06 /2006–594(12)
निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं,
बिहार, पटना

प्रेषक,

डा0 सुरेन्द्र प्रसाद
निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार पटना ।

सेवा में,

अधीक्षक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार।
सभी सिविल सर्जन, बिहार।

पटना, दिनांक – 18-9-14

विषयः–वर्ष–2011–12 में प्रकाशित आवश्यक दवाओं की सूची (Essential Drug List) में अंकित दवाओं को अर्न्तवासी एवं बहिर्वासी रोगियों को Prescribe करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या–409(12) दिनांक–09.05.2011 द्वारा राज्य के सरकारी अस्पतालों के मरीजों को मुफ्त औषधि उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाओं की सूची (EDL) प्रकाशित है जिसे विभागीय वेवसाइट पर भी अवगत हुआ जा सकता है।

बहुधा ऐसी सूचना मिलती रही है कि अस्पतालों द्वारा रोगियों को आवश्यक दवाओं की सूची (EDL) की दवायें **Prescribe** नहीं की जाती हैं।

अतः राज्य के सरकारी प्रक्षेत्र के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के अधीक्षक को एतद् द्वारा निदेशित किया जाता है कि अपने–अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी विभागाध्यक्षों को उक्त आवश्यक दवाओं की सूची (EDL) उपलब्ध कराते हुए अन्तर्वासी एवं बहिर्वासी रोगियों को उक्त दवाओं को निश्चित रूप से **Prescribe** करने हेतु निदेशित किया जाय।

इसी प्रकार, राज्य के सभी सिविल सर्जनों को भी निदेशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ सरकारी अस्पतालों यथा ,जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पतालों, रेफरल अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अन्य सरकारी अस्पतालों को संलग्न आवश्यक दवाओं की सूची (EDL) को उपलब्ध कराते हुए उक्त सूची में अंकित दवाओं को आवश्यकतानुसार अन्तर्वासी एवं बहिर्वासी रोगियों को Prescribe करने हेतु निदेशित किया जाय।

कृपया उक्त निदेश का अनुपालन दृढ़तापूर्वक सुनिश्चित किया जाय।

नोटः– EDL से बाहर की दवाएं लिखी जा सकती हैं
वशर्ते Prescription में डाक्टर इसकी
आवश्यकता/Logic अंकित करें।

अनु0–यथोक्त (EDL)

विश्वासभाजन

निदेशक प्रमुख,
स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना।